न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर(राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 54/2020

1– बजरंग लाल पुत्र श्री गोमाराम जाति सुनार निवासी सिलनवाद तहसील लाडनं जिला नागौर राज0।

..............अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार, लाडनूं तहसील लाडनूं, जिला नागौर राज0।

2–पटवारी हल्का सिलनवाद , तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

..............रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री महेन्द्र खिलेरी, व श्री श्याम बारूपाल अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध निर्णय राजस्व प्रकरण अधीन धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 बअनुवान सरकार बनाम बजरंगलाल प्रकरण संख्या 21/2019 न्यायालय तहसीलदार महोदय लाडनूं का निर्णय दिनांक 30.10.2019

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक: 10.03.2021

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं0 21/2019 बअनुवान सरकार जरिये पटवारी हल्का सिलनवाद बनाम बजरंग लाल में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2019 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सिलनवाद ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम सिलनवाद के खसरा नम्बर 1490 रकबा 4.10 बीघा किस्म गै0मु0 गौचर भूमि पर चार दीवारी, टीन शेड, मकान,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

होद,पानी की खेली बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है, तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा सिलनवाद के खसरा नम्बर 1490 रकबा 4.10 बीघा किस्म गैर मु0 गौचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा सिलनवाद के खसरा नम्बर 1490 रकबा 4.10 बीघा गैर मुमकिन गौचर से बेदखल किंये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना रूपये 135/– अक्षरे एक सौ पेन्तीस रूपये कायम किया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 05.010.20 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 07.10.20 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। । अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व/2021/104 दिनांक 23.10.2020 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

{3} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{3}(1)–यह है अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत न्याय के विपरीत निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(3) – यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय अधीन अपील पारित करने में घोर त्रुटि की है, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं ।

{3}(4) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्णरूप से विधि विरूद्ध तरीके से उक्त कार्यवाही की गई है। जिस भूमि पर पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण मान कर रिपोर्ट पेश की गई है एवं जिस पर तहसीलदार लाडनूं द्वारा जुर्माना व बेदखल करने का आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया गया है।

{3}(5) – यह है कि अपीलार्थी/अप्रार्थी को कभी भी किसी भी प्रकार का नायब तहसीलदार निम्बी जोधा द्वारा जारी नोटिस प्राप्त नही हुआ है एवं जो नाटिस पर बजरंगलाल के हस्ताक्षर है वह कतई बजरंगलाल के नहीं है। शिकायत कर्ता द्वारा कुटरचना की जाकर उक्त बजरंगलाल के हस्ताक्षर फर्जी किये गये है। अपीलांट अपने कारोबार से सिकन्दराबाद तेलगांना निवास करता है एवम दिनांक 13.06.2019 से दिनांक 15.07.2019 तक सिकन्दराबाद में ही था तथा इसके पहले व इसके बाद भी वही पर रहे है। अपीलान्ट अभी दिनांक 11.09.2020 को अपने ग्राम आये। अपीलान्ट की तामील कुटरचित दस्तावेजो के आधार पर की गई तथा विधिविरूद्ध तरीके से की गई है।

{3}(6)– यह है कि जिस भूमि पर नायब तहसीलदार व पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की गई है वहां पर गायो हेतु गौशाला का निर्माण किया गया है एवं उनके चारे पानी की रखरखाव की व्यवस्था की गई एवं जिस होद की अतिक्रमण माना गया है उसे राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया है एवं जो टीनशेड व पानी की खेली बताई है वह चारे व पशुओ के लिए है तथा उक्त भूमि की किस्म भी गौचार है एवं उक्त भूमि का उपयोग गाय के लिए ही किया गया है। किसी भी प्रकार का वहां व्यक्तिगत कब्जा नहीं है, गौचार भूमि में गाय के जीवन के रक्षा के लिए उक्त सभी कार्य सरकारी धन एवं ग्रामीण चन्दे से खर्च किये गये हैं।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना

{3}(7) – यह है कि उक्त गौशाला एक रजिस्टर्ड संस्था है। जिसके रजिस्ट्रशन नम्बर 01/नागौर/2009–10 हैं एवं जो दिनांक 16.04.2009 से रजिस्टर्ड है एवं सिमें कार्यकारणी में कुल 9 व्यक्तियो के नाम है एवं अन्यक्ष अपीलान्ट है। जिसे गांव में श्रीकृष्ण गौशाला सेवा समिति सिलनवाद का नाम दिया गया है।

{3}(8) – यह है कि उक्त भूमि के आंवटन हेतु कार्यवाही लम्बित है एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा कार्यवाही की जा रही है। जिसमें दिनांक 01.10.2020 को अपीलान्ट को यह नोटिस भी दिया गया है कि यह अपना रजिस्ट्रशन गोपालन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा पेश करे जिससे भूमि आंवटित की जा सके एवं गौशाला के रजिस्ट्रेशन हेतु ग्राम पंचायत सिलनवाद द्वारा एन.ओ.सी. जारी की हुई है। अतः में अपीलान्ट अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.10.2019 को अपास्त किया जावें।

{4} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के सम्बन्ध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 30.10.2019 को निर्णय हो चुका है। प्रार्थी के पास आज दिन तक किसी प्रकार का नोटिस नहीं आया है एवं नोटिस पर बजरंग लाल के हस्ताक्षर कुटरचना करके की गयी है। प्रार्थी ने कभी भी हिन्दी में हस्ताक्षर नहीं किए है उक्त हस्ताक्षर प्रार्थी के नहीं हैं। प्रार्थी 11.9.2020 को गांव आया उसके आद 2.10.2020 को प्रार्थी को इस प्रकरण की जानकारी हुई तब वह तहसील कार्यालय गया तथा दिनांक 5.10.2020 को नकल प्राप्त की तब उक्त निर्णय का सम्पूर्ण ज्ञान हुआ जिससे अपील में हुई देरी माफ योग्य है। जिससे अवधि दिनांक 30.10.2019 से 05.10.2019 तक की समयावधि को कण्डोन किए जाने के आदेश फरमावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

हमने पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट/अप्रार्थी को दो नोटिस जारी किए गए है। प्रथम नोटिस दिनांक 9.4.2019 को जारी किया गया है इस नोटिस पर यह अंकित है कि "नोट : प्रार्थी बाहर रहता है।" इस नोटिस पर किसी तामील कुनिन्दा के हस्ताक्षर नहीं है। दूसरा नोटिस दिनांक 13.6.2019 को जारी किया गया है जिस पर "बजरंगलाल" लिखा हुआ है। यह "बजरंगलाल" अपीलान्ट द्वारा पेश अपील मिमों एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के शपथ पत्र आदि पर अपीलान्ट द्वारा किए गए हस्ताक्षर में मिलान नहीं होते हैं। ये दोनों नोटिस किसी भी तामील कुनिन्दा के द्वारा तामील नहीं करवाऐ गए हैं क्योंकि इन पर किसी भी तामील कुनिन्दा के हस्ताक्षर नहीं है। अतः यह आदेश निश्चित रूप से अपीलान्ट के पीठ पीछे पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{5} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का सिलनवाद की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भू0अ0निरीक्षक द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम सिलनवाद, के खसरा नम्बर 1490 रकबा 4.10 बीघा किस्म गै0 मु0 गौचर पर चारदीवारी, टीन शेड, मकान होद, पानी की खेली बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय दिनांक 30.10.2019 पारित करने से पूर्व अपीलान्ट/अप्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस तामील नहीं कराए गए है जिसका विस्तृत विवेचन अपील को अन्दर मियाद शुमार करने के बिन्दु पर किया जा चुका है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

:::: आदेश ::::

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण में पुनः सुनवायी कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक : 10.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)